संख्या-367/2026/1095/2026-27-2002-41-2025-2

प्रेषक,

सिद्धा शरण पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 25 मई, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद अमेठी की अकबरगंज ड्रेन के कि०मी० 1.115,गुलालपुर ड्रेन के कि०मी० 20.497 एवं हरकरनपुर ड्रेन के कि०मी० 1.950 परस्थित क्षतिग्रस्त वी०आर०बी० के स्थान पर आर0सी0सी0 वी0 आर0 बी0 के निर्माण कार्य की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्तविषयक मुख्य अभियन्ता, अनु0 एवं नियो0 (बाढ़) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ केपत्रसंख्या-983/काप्रअ/अनिबामं/यू-10/बी-1प्र0, दिनांक 14-05-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावके आधार पर निम्नलिखित विवरण की एक अदद चालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-09-कटाव निरोधक योजनाएँ-0984-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यो की परियोजनाएँ (राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित बजट व्यवस्था (चालू श्रेणी) से रू० 90,51,000.00(रूपये नब्बे लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

संगठन/मण्डल/खण्ड	मु0अभि0 (वाहय सहायतित परि0) लखनऊ /ड्रेनेज मण्डल, लखनऊ/सिंचाई खण्ड-2, सुल्तानपुर										
(धनराशि लाख रू0 में)											
क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का सन्दर्भ शासनादेश सं0 तथा दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a) / गठित अनुबन्ध की लागत (b)	अनुबन्धित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/ पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन (a)/ क्रमिक व्यय (b)	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष) (7-9) (b)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में	
										अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जाने वाली स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94-4711-01-103-09-84-24नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाए (राज्य पोषित)											
1	जनपद अमेठी की अकबरगंज ड्रेन के कि०मी० **1.115,** गुलालपुर ड्रेन के कि०मी० **20.497** एवं हरकरनपुर ड्रेन के कि०मी० **1.950** पर स्थित क्षतिग्रस्त वी०आर०बी० के स्थान पर आर**0**सी**0**सी**0** वी**0** आर**0** बी**0** के निर्माण कार्य की परियोजना। (Latitude:-26.493005 N, 26.269322 N,26.283239 N) Longitude:-81.521943 E, 81.746811 E,81.611538 E)	94-4711-01-103-09-84-24 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाए (राज्य पोषित)	90.51	132/2025/564/2025/27-2002-41-2025-2, दिनांक 02.05.2025	230.52/ 191.54	228.51	2.01	138.00/ 138.00	90.51	94-4711-01-103-09-84-24	90.51

(रूपये नब्बेलाख इक्यावन हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धो

3- उक्त धनराशि को व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) तालिका में अंकित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की संख्या-132/2025/564/2025/27-2002-41-2025-2, दिनांक 02.05.2025में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इससम्बन्धमेंहोनेवालाव्ययवित्तीय वर्ष 2026-27के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-09-कटाव निरोधकयोजनाएँ- 0984-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यो कीs परियोजनाएँ (राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामेडालाजायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रू90,51,000.00(रूपये नब्बेलाख इक्यावन हजार मात्र) कोचालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4711011030984 नदी में सुधारएवं कटाव निरोधक कार्यो की परियोजनाएँ(राज्य सेक्टर)मानक मद 24 वृहन्निर्माणकार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थएवंआवश्यककार्यवाहीहेतुप्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखाएवंहकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुखअभियन्ता (परि0 एवंनियो0),सिंचाईएवंजलसंसाधनविभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(4) सम्बन्धितजिलाधिकारी।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।
(7) मुख्य अभियंता, अनु0 एवंनियो0(बाढ़), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(8) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(9) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(10) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवंजल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(11) अधीक्षणअभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(12) वित्त (व्ययनियत्रंण) अनुभाग-8
(13) सिंचाईअनुभाग-9/गार्डबुक।

आज्ञा से,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in